



राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 □ Rajasthan □ India



क्रमांक : एफ8(26)/अ.शा./टैक्सी कार, बस, टेम्पो ट्रेवलर/रीपा/2022/ 21466

दिनांक : 17/02/2025

मैसर्स आरोही ट्रेवलस सोल्यूशन,
ए-93, अर्जुन नगर, टोंक फाटक,
जयपुर।

विषय :- दिनांक 17-02-2025 से अनुबंध के आधार पर टैक्सी कार/बसे एवं टेम्पो ट्रेवलर उपलब्ध करवाने बाबत तथा अनुबंध की अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने बाबत।
प्रसंग :- आप द्वारा प्रस्तुत बोली पर वित्तीय निविदा एवं दिनांक 14.02.2025 को नगोशियेशन में दी गई दरों के अनुसार।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक बोली के संबंध में लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत बोली स्वीकार कर ली गई है। अतः आप दिनांक 17-02-2025 से अनुबंध के अनुसार कार्य करवाना प्रारम्भ करावे। उक्त कार्यदिश दिनांक 17-02-2025 से एक वर्ष के लिए (16.02.2026 तक) दिए जा रहे हैं जिसे बोली प्रपत्र की शर्त संख्या 13 के अनुसार एक वर्ष बढ़ाया जा सकेगा। आपको अनुबंध के आधार पर टैक्सी कार/बसे एवं टेम्पो ट्रेवलर उपलब्ध करवाने का निम्नानुसार किराये का भुगतान किया जावेगा:-

(i) टैक्सी कार (स्थानीय उपयोग हेतु)

(Duty Point to Destination & Back)

घण्टे	किलोमीटर	ए.सी. वाहन की दरें (सभी कर सहित)	
		इटियोज/स्वीफ्ट डिजायर/सियाज	इनोवा/क्रिस्टा
6 घण्टे	80	1540/-	1950/-
8 घण्टे	100	1850/-	2340/-
12 घण्टे	120	2300/-	3560/-
उपरोक्त घण्टों में निर्धारित किलोमीटर से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर		1/-	1/-
एयरपोर्ट/बस स्टेण्ड/रेल्वे स्टेशन/जयपुर लोकल से अतिथि वक्ता को लाने अथवा ले जाने की दरें		840/-	950/-

(उपरोक्त समय के अतिरिक्त वाहन चलने पर 10 किलोमीटर वाहन निःशुल्क उपलब्ध करवाना होगा)

नोट :- यात्रा के दौरान वाहन के टोल एवं पार्किंग के भुगतान हेतु रशिद संलग्न करने पर ही भुगतान किया जावेगा।

(ii) टैक्सी कार (जयपुर से बाहर के लिए)

	ए.सी. की दरें (सभी कर सहित)	
	इटियोज/स्वीफ्ट डिजायर/सियाज	इनोवा/क्रिस्टा
प्रति किलोमीटर (राज्य में)	11.10/-	18/-
प्रति किलोमीटर (राज्य से बाहर)	11.40/-	18.50/-

नोट :- 1. प्रतिदिन न्यूनतम 250 किलोमीटर का भुगतान किया जावेगा। (जयपुर से बाहर)
2. रात्रि विश्राम दर (समय रात्रि 12 बजे बाद) प्रतिदिन 200/- रुपये की दर से भुगतान किया जावेगा।
3. जयपुर शहर से बाहर जाने पर वाहन के टोल एवं पार्किंग के भुगतान हेतु रशिद संलग्न करने पर ही भुगतान किया जावेगा।

Phone: 0141-2706556, 2715222 □ Fax: 0141-2705420

Email: hcmripa@rajasthan.gov.in □ Website: www.hcmripa.rajasthan.gov.in



राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration

Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 □ Rajasthan □ India



(iii) बस/टैम्पो ट्रेवल (स्थानीय उपयोग हेतु)

(Duty Point to Destination & Back)

घण्टे	किलोमीटर	ए.सी. वाहनो की दर बसों के लिए (सभी कर सहित)		
		मिनी बस 35 सीटर	बस डीलक्स 45 सीटर	टैम्पो ट्रेवल ए.सी. 12 सीटर
6 घण्टे	80	4500/-	5200/-	3000/-
8 घण्टे	100	5000/-	6000/-	3600/-
12 घण्टे	120	5500/-	7500/-	4500/-
उपरोक्त घण्टो में निर्धारित किलोमीटर से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर		1/-	1/-	1/-
एयरपोर्ट/बस स्टेण्ड/रेलवे स्टेशन/जयपुर लोकल से अतिथि वक्ताओं एवं समूह को लाने अथवा ले जाने की दरें		3300/-	4500/-	2700/-

नोट :- यात्रा के दौरान वाहन के टोल एवं पार्किंग के भुगतान हेतु रसिद संलग्न करने पर ही भुगतान किया जावेगा।

(iv) बस/टैम्पो ट्रेवल (जयपुर से बाहर के लिए)

	ए.सी. डीलक्स बसों की दरें (सभी कर सहित)			
	मिनी बस 35 सीटर	बस डीलक्स 45 सीटर	टैम्पो ट्रेवल ए.सी. 12 सीटर	टैम्पो ट्रेवल ए.सी. 18 सीटर
प्रति/किलोमीटर दर (राज्य में प्रयुक्त होने पर)	40/-	49/-	24/-	25.50/-
प्रति/किलोमीटर दर (राज्य के बाहर प्रयुक्त होने पर)	41/-	53.50/-	27.50/-	29/-
रात्रि विश्राम दर प्रतिदिन	200/-	200/-	200/-	200/-
प्रतिदिन न्यूनतम किलोमीटर जिसका चार्ज किया जावेगा, अंकित की जावे।	250 Km.	250 Km.	250 Km.	250 Km.

- नोट :- 1. प्रतिदिन न्यूनतम 250 किलोमीटर का भुगतान किया जावेगा। (जयपुर से बाहर)
 2. रात्रि विश्राम दर (समय रात्रि 12 बजे बाद) प्रतिदिन 200/- रुपये की दर से भुगतान किया जावेगा।
 3. जयपुर शहर से बाहर जाने पर वाहन के टोल एवं पार्किंग के भुगतान हेतु रसिद संलग्न करने पर ही भुगतान किया जावेगा।

उक्त दरों के अतिरिक्त पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स पर हुए वारतविक व्यय का भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर ही नियमानुसार देय होगा।

अतः उपरोक्तानुसार दरों पर संस्थान की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाने के दो वर्षिय अनुबंध हेतु 500/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर व पाई पेपर तुरन्त प्रस्तुत करें, ताकि अनुबंध सम्पादित किया जा सके तथा कुल अनुमोदित लागत का 5 प्रतिशत की दर से 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का बैंक/डी.डी./एफ.डी. आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर निदेशक, H0च0मा0 रीपा, जयपुर के नाम से संस्थान में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
एवं विभागाध्यक्ष



राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration

Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 □ Rajasthan □ India



क्रमांक :- एफ8(26)/अ.शा./टैक्सो कार, वस, टैम्पो ट्रैवलर/रीपा/2022/ 21467-80 दिनांक :- 17/02/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (लेखा), एच.सी.एम.रीपा, जयपुर।
5. उप निदेशक (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
6. सदस्य सचिव, सी.जी.जी., ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
7. पंजीयक, प्रबंध अध्ययन केन्द्र, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, विश्रान्ति/कृ.पु.भ./आपदा प्रबंधन केन्द्र, ह0च0मा0 रीपा, जयपुर।
9. प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश रीपा वेबसाईट एवं ईप्रोक आदि पर ऑन लाईन अपलोड करावे।
10. लेखाशाखा, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
11. नोटिस बोर्ड नेहरू भवन/विश्रान्ति/पटेल भवन/कृ0पु0भ0, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं
विभागाध्यक्ष